

सेवा में,

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 4765 /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक मई, 27, 2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020

2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-2078/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 02.06.2020

3-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./730 दिनांक-10.07.2020

4-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 112/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 15.07.2020

गहोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-28.05.2020 द्वारा 15 (पन्द्रह) शर्तों के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेशों में अंकित सगस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-4311/रेनुकूट/15-117 दिनांक-17.05.2025 (छाया प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या एतद्वारा संलग्नकर संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मिश्राल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 4765 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मिश्राल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: [dforkt@yahoo.co.in](mailto:dforkt@yahoo.co.in)

पत्रांक-4311 / रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, मई, 17, 2025  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
भीरजापुर क्षेत्र  
भीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:- 1-भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी. /02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020  
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 2078/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 02.06.2020  
3-भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी. /02/31/2018/एफ.सी./730 दिनांक-10.07.2020  
4-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 112/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 15.07.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 28.05.2020 द्वारा 15 (पन्द्रह) शर्तों के अधीन जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पुनः भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 10.07.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोरित शर्त संख्या- 12 में आंशिक संशोधन आदेश जारी किया गया ।

भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेशों में अंकित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय पिपरी-सोनभद्र के पत्र संख्या- 943/क०नि०ख०-३पि०/वन भूमि दिनांक-28.04.2025 द्वारा प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध करये गये आख्या के आधार पर प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

|      |                                                |               |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| क्र० | भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन | अनुपालन आख्या |
|------|------------------------------------------------|---------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं० | मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/ यू.पी./ 02/ 31/ 2018/ एफ.सी./ 646 दिनांक-28.05.2020 एवं भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/ यू.पी./ 02/ 31/ 2018/ एफ.सी./ 730 दिनांक-10.07.2020 में अंकित शर्तों का विवरण                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   | Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष 160.675 हे० गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है । हस्तान्तरण से संबंधित प्रमाण पत्र एवं खतौनी आदि की प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                         |
| 3   | Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.1637 ha. Non forest land (Renukoot 103.675 ha, Obra 23.4887 ha) in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village-Bhisur, Korachi, Kudari, Tehsil-Not provided, District-Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 127.1637 हे० के सापेक्ष 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भिसुर, कोरची एवं कुदरी में वन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । गैर वन भूमि पर वनीकरण किये जाने हेतु वांछित धनराशि कैम्पा मद में जमा है । कैम्पा से वांछित धनराशि नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त उस पर वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा । |
| 4   | The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष 160.7608 हे० गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराते हुए उसका कब्जा संबंधित रेंज के माध्यम से रेनुकूट वन प्रभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है जिससे संबंधित कब्जा प्रमाण पत्र एवं खतौनी आदि की प्रति संलग्न है ।                                                                                             |
| 5   | The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years . The scheme                                                                        | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि में प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भिसुर , कोरची एवं कुदरी में 160.7608 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न व्यय अनुपालन पत्र में अंकित निर्धारित                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | धनराशि क्रमशः रू0 2,17,30,037.00 (मु0 दो करोड़ सत्रह लाख बीस हजार सैतीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , Account No. 150905720269441 में दिनांक- 09.01.2021 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 127.1637 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि में प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित 127.1637 हे0 वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 127.1637 हे0 X 8,87,000.00 प्रति हे0 = रू0 11,27,94,201.90 या 11,27,94,202.00 (मु0 ग्यारह करोड़ सत्ताईस लाख चौरानवे हजार दो सौ दो मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , Account No. 150905720269441 में दिनांक- 09.01.2021 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है । |
| 7  | Additional amount of the NPV of the diverted forest lan, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.                                                                                                                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | The Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित वांछित धनराशि रू0 1,30,716.00 एवं ओबरा वन प्रभाग से संबंधित वांछित धनराशि रू0 20,935.00 चालान के माध्यम से जमा किया गया है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa मद में जमा किया गया है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इस बिन्दु के अनुपालन में समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha. degraded forest land (as per the recommendation of the committee by Hon'ble NGT) and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approval scheme shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 800 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु तैयार किये गये प्राक्कल के अनुसार वांछित धनराशि रु० 10,81,36,000.00 एवं रेनुकूट वन प्रभाग के पूर्व में हुये वनीकरण क्षेत्र 666 हे० वन भूमि पर enrichment plantation हेतु रु० 9,00,23,220.00 अर्थात् $10,81,36,000.00 + 9,00,23,220.00 = 19,81,59,220.00$ (मु० उन्नीस करोड़ इक्यासी लाख उन्सठ हजार दो सौ बीस मात्र) एवं ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 495 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की वांछित धनराशि रु० 6,69,09,150.00 (मु० छः करोड़ उन्हत्तर लाख नौ हजार एक सौ पचास मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , Account No. 150905720269441 में दिनांक- 09.01.2021 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है । |
| 13 | The State Government and the User Agency should ensure strict compliance of the various recommendations made in the report of the committee on different components of the Terms of Reference.                                                                                                                                                                   | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किये जाने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.03.2014 shall be ensured.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक- 11.03.2014 के अनुपालन संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | CAT Plan has to be approved by the Ministry which should be taken up by the State Government and copy of approved CAT Plan shall be submitted to this office.                                                                                                                                                                                                    | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि कैट प्लान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रभाग द्वारा उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया गया । भारत सरकार ने अपने पत्रांक- 08बी/यू०पी०/०२/३१/२०१६/एफ०सी०/७५८ दिनांक- 10.03.2022 द्वारा यह सूचित किया गया कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के उपरान्त कैट प्लान के संबंध में आगे की कार्यवाही की जायेगी । उक्त पत्र दिनांक- 10.03.2022 की छाया प्रति संलग्न है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CA amount as per proposal                                 | Rs 2,17,30,037-00                                                              |
| CA amount deposited                                       | Rs 2,17,30,037. 00                                                             |
| Difference in amount                                      | 0                                                                              |
| Reason for difference                                     | Not Applicable                                                                 |
| NPV amount as per proposal                                | Rs. 11,27,94,202.00                                                            |
| NPV amount deposited                                      | Rs. 11,27,94,202.00                                                            |
| Difference in amount                                      | 0                                                                              |
| Reason for difference                                     | Not Applicable                                                                 |
| Any other amount deposited (Complete details be provided) | 26,50,683,70. 00<br>As per above Condition No. 12                              |
| CAMPA confirmation                                        | Enclosed Online payment history made by User Agency under CAMPA & Challan copy |

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा० भानेन्द्र सिंह )

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 4311 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ ।
- 2-मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
- 4-अधिशाली अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय पिपरी-सोनभद्र को उनके पत्र संख्या- 943/क०नि०ख०-3पि०/वन भूमि दिनांक- 28.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(डा० भानेन्द्र सिंह )

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

पिन कोड-231221

E-Mail-eeekcd3.pipri@gmail.com



पत्रांक: 943/क0नि0ख0-3,पि0/वनभूमि/

दिनांक: 28/04/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वनप्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र।

**विषय:** जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

- संदर्भ:** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-112/11-सी-FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-15.07.2020।
3. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक-2229/रेनुकूट/15-117/रेनुकूट दिनांक 17.01.2021।
4. इस कार्यालय के पत्रांक-818/क0नि0ख0-3,पि0/वन भूमि/दिनांक 25.02.2025
5. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक-3690/रेनुकूट/15-117/रेनुकूट दिनांक 08.04.2025।



L.T.  
आ.प्र.प्र.  
प्र.प्र.प्र.  
30.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) ने पत्र दिनांक-28.05.2020 द्वारा पन्द्रह शर्तों के अधीन जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अनुपालन के लिए आप द्वारा अपने संदर्भित पत्र क्रमांक-03 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत की जाय, जिसकी अनुपालन इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 04 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आप द्वारा कुछ बिन्दुओं पर संदर्भित पत्र क्रमांक 05 की आख्या मांगी गई है, जिसकी संशोधित सम्पूर्ण अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

ई० विनीत कुमार  
अधिशासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-८बी/यू.पी०/३१/२०१८/एफ.सी./६४६ दिनांक-२८.०५.२०२० (संलग्नक-१) में अंकित भर्त्ता का विवरण।                                                                                                                                                                                                                 | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्र संख्या-२२२९/रेनुकूट/१५-११७ रेनुकूट, दिनांक १७.०१.२०२१ (संलग्नक-२) द्वारा निर्देशित किये गये बिन्दु।                                                                                                                                                                                                                                                                                     | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.       | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की बचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।<br>(प्रमाण पत्र संलग्नक-३)।                                                                                                                                              |
| 2.       | Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण सहित कब्जा आदि संबंधी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का हस्तान्तरण नियमानुसार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।                                                                                                                                                    | इस परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष विहित गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। ग्राम-कोरची, भीसुर एवं कुदरी का अतिक्रमण सहित एवं कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रमाण पत्र संलग्नक-४)।            |
| 3.       | Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.1637 ha. Non forest land (Renukoot 103.675 ha, Obra 23.4887 ha) in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village- Bhisur, Korchi, Kudari, Tehsil-Not provided, District-Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. | इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि १२७.१६३७ हे० के सापेक्ष कुल १६०.७६०८ हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भीसुर, कोरची एवं कुदरी में वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण सहित कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरान्त वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। | कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक वन भूमि १२७.१६३७ हे० के सापेक्ष कुल १६०.७६०८ हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भीसुर, कोरची एवं कुदरी में वन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। जो पौध रोपड़ के लिए उपयुक्त है। |

ई० विनोद कुमार  
अधिसासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनमद

| क्र० सं०    | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-८बी/यू.पी०२/३१/२०१८/एफ.सी./६४६ दिनांक-२८.०५.२०२० (संलग्नक-१) में अंकित भातों का विवरण।                                                                                                                                                                                                                                 | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्र संख्या-२२२९/रेनुकूट/१५-११७ रेनुकूट, दिनांक १७.०१.२०२१ (संलग्नक-२) द्वारा निर्देशित किये गये बिन्दु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-------|---------|------|-------|---------|------------|-------|---------|---------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.          | The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल १६०.७६०८ हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-</p> <table><tr><th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)</th></tr><tr><td>बमनी</td><td>भिसुर</td><td>६९.८११०</td></tr><tr><td>बमनी</td><td>कोरची</td><td>६२.८०१६</td></tr><tr><td>विण्डमंगंज</td><td>कुदरी</td><td>२८.१४८२</td></tr><tr><td>कुल योग</td><td></td><td>१६०.७६०८</td></tr></table> <p>उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग उ०प्र० सरकार रेनुकूट वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त कराते हुए उससे संबंधित खतौनी व मानचित्र की प्रति उपलब्ध करायी जाय।</p> | रेंज का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्राम का नाम | गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | बमनी | भिसुर | ६९.८११० | बमनी | कोरची | ६२.८०१६ | विण्डमंगंज | कुदरी | २८.१४८२ | कुल योग |  | १६०.७६०८ | कनहर सिवाई परियोजना के अन्तर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक वन भूमि १२७.१६३७ हे० के सापेक्ष कुल १६०.७६०८ हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत १६०.७६०८ हे० के ग्राम कुदरी (२८.१४८२ हे०) वन विभाग रेनुकूट के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त कराते हुए उससे संबंधित खतौनी व सजरा मानचित्र ०५ प्रतियों में प्रेषित है। (संलग्नक-५)। |
| रेंज का नाम | ग्राम का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बमनी        | भिसुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६९.८११०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बमनी        | कोरची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२.८०१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विण्डमंगंज  | कुदरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८.१४८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कुल योग     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६०.७६०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.          | The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for | <p>इस बिन्दु के क्रम में परियोजना में प्रभावित १२७.१६३७ हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत १६०.७६०८ हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूर्क वनीकरण करने हेतु प्रभाग द्वारा तैयार किये गये क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के अनुसार १६०.७६०८ हे०, ₹० १,३५,१७०/- प्रति हे० की दर से ₹० २,१७,३०,०३७.०० (यु० दो करोड़ सत्रह लाख तीस हजार सौ तीस मात्र) परियोजना पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | परियोजना में प्रभावित १२७.१६३७ हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत १६०.७६०८ हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूर्क वनीकरण करने हेतु प्रभाग द्वारा तैयार किये गये क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के अनुसार १६०.७६०८ हे०, ₹० १,३५,१७०/- प्रति हे० की दर से ₹० २,१७,३०,०३७.०० (यु० दो करोड़ सत्रह लाख तीस हजार सौ तीस मात्र) परियोजना पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से |              |                                    |      |       |         |      |       |         |            |       |         |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ई० वि० कुमारे  
अधिसारिता  
कनहर निर्माण खण्ड-द्वितीय  
पिपरी-सोनभद्र

दिनांक: 28/04/2025

संलग्नक - पत्रांक: 943/क0नि0ख0-3, पि0/वनभूमि/

| क्र0<br>सं0 | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू.पी.02/31/2018/एफ.सी. /646 दिनांक-28.05.2020 (संलग्नक-1) में अंकित भर्त्ता का विवरण।<br>subsequent years.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्र संख्या-2229/रेनुकूट/15-117 रेनुकूट, दिनांक 17.01. 2021 (संलग्नक-2) द्वारा निर्देशित किये गये बिन्दु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uttar Pradesh Campa, शीर्ष के खाता संख्या- 150905720269441 में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-6)। क्षतिपूर्क वनीकरण धनराशि में कोई बढोत्तरी होने पर प्रभाग द्वारा या उच्च स्तर से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो धन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रमाण पत्र संलग्नक-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.          | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 127.1637 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2020, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18-09-2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 in this regard. | इस बिन्दु के क्रम में प्रसंगत वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-II (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में रेनुकूट वन प्रभाग का हरियाली का घनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सघन वन की श्रेणी में आता है। भारत सरकार के पत्र दिनांक-05.02.2009 में इको क्लास-III Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ₹0 8,87,000.00 प्रति हे0 निर्धारित किया गया है। अतः परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 103.675 हे0 X 8,87,000.00 प्रति हे0= ₹0 9,19,59,725.00 (मु0 नौ करोड़ उन्नीस लाख उन्सठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाये। | एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रेनुकूट वन प्रभाग को ₹0 9,19,59,725.00 (मु0 नौ करोड़ उन्नीस लाख उन्सठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) एवं ओवरा वन प्रभाग को ₹0 2,08,34,477.00 (मु0 दो करोड़ आठ लाख चौतीस हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, शीर्ष के खाता संख्या- 150905720269441 में जमा कर दिया गया है। |
| 7.          | Additional amount of the NPV of the diverted forest land becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढोत्तरी होती है तो उसे जमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यदि भविष्य में एन.पी.वी. की धनराशि में कोई वृद्धि होती है तो उसे विभाग द्वारा जमा कराया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्नक-8)।                                                                                                                                                                                                                           |

कनहर निर्माणाखण्ड-चुती-  
मिपरी-सोनागढ़

| क्र0 सं0      | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (भच्य) केन्द्रीय भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-84/यूपी02/31/2018/एफ.सी. /646 दिनांक-28.05.2020 (संलग्नक-1) में अंकित भर्तों का विवरण। | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्र संख्या-2229/रेनुकूट/15-117 रेनुकूट, दिनांक 17.01. 2021 (संलग्नक-2) द्वारा निर्देशित किये गये विन्दु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या                                                                                           |                                                  |                                        |                                      |         |       |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.                                               | करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                  |                                        |                                      |         |       |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.            | The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.                                                                                                       | <p>इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 18282 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है। मीरजापुर क्षेत्र 3080 मीरजापुर के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा चानिकी कार्यों की पुनरीक्षित अनुसूचित दरे रू0 201/-प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु 7.15 प्रति पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमाश सहित निर्धारित किया गया है। अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रभाग का नाम</th><th>प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या</th><th>गणना/ छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध</th><th>गणना/ छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रेनुकूट</td><td>18282</td><td>7.15/-</td><td>1,30,716.30 या 1,30,716/-</td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रू0 1,30,716/- (मु0 एक लाख तीस हजार सात सौ सोलह रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो/संलग्न चालान के माध्यम से जमा कराते हुए उपलब्ध कराया जाय।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं कुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि 3080 वन निगम रेनुकूट द्वारा गौग की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।</p> | प्रभाग का नाम                                                                                                       | प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या | गणना/ छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध | गणना/ छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि | रेनुकूट | 18282 | 7.15/- | 1,30,716.30 या 1,30,716/- | रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 18282 वृक्षों की गणना/ छपान के लिए निर्धारित धनराशि रू0 1,30,716/- (मु0 एक लाख तीस हजार सात सौ सोलह मात्र) (संलग्नक-9)। जोवरा वन प्रभाग से सम्बन्धित 2928 वृक्षों की गणना/ छपान के लिए रू0 20935 00 को चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-10)। |
| प्रभाग का नाम | प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या                                                                                                                                                           | गणना/ छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गणना/ छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि                                                                                |                                                  |                                        |                                      |         |       |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रेनुकूट       | 18282                                                                                                                                                                                                      | 7.15/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,30,716.30 या 1,30,716/-                                                                                           |                                                  |                                        |                                      |         |       |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.            | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the authorized District Collector.                                                                         | इस विन्दु के क्रम में वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इस विन्दु के क्रम में विलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित संलग्नक सतन किया गया है। (संलग्नक-11) |                                                  |                                        |                                      |         |       |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-८बी/यू.पी०२/३१/२०१८/एफ.सी./६४६ दिनांक-२८.०५.२०२० (संलग्नक-१) में अंकित भर्त्ता का विवरण।                                                                                                                                                     | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्र संख्या-२२२९/रेनुकूट/१५-११७ रेनुकूट, दिनांक १७.०१.२०२१ (संलग्नक-२) द्वारा निर्देशित किये गये बिन्दु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.      | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                          | इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                          | वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त धनराशि (एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वनीकरण एवं Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, शीर्ष के खाता संख्या-१५०९०५७२०२६९४४१ में जमा कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.      | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                                                                                                         | इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए, उससे संबंधित रिलिफ की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | समस्त बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या अपलोड कर दी गई है। सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.      | Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha. degraded forest land (as per the recommendation of the committee by Hon'ble NGT) and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approval scheme shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. | इस बिन्दु के क्रम में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ८०० हे० अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के आधार पर निर्धारित धनराशि रु० १,४०,९१०.०० प्रति हे० की दर से ८०० हे० X १,३५,१७०.०० = रु० १०८,१३६,००० /- एवं पूर्व में हुये वनीकरण क्षेत्र ६६६ हे० वन भूमि पर enrichment plantation हेतु ६६६.०० X १,३५,१७०.०० = ९,००,२३,२२०.०० अर्थात् १०,८१,३६,०००.०० + ९,००,२३,२२०.०० = १९,८१,५९,२२०.०० (मु० उन्नीस करोड़ इक्कासी लाख उन्सठ हजार दो सौ बीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय। | रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ८०० हे० अवन्त वनभूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के आधार पर रु० १०८,१३६,००० /- एवं पूर्व में हुये वनीकरण क्षेत्र ६६६ हे० वन भूमि पर enrichment plantation हेतु रु० ९,००,२३,२२०.०० अर्थात् १०,८१,३६,०००.०० + ९,००,२३,२२०.०० = १९,८१,५९,२२०.०० (मु० उन्नीस करोड़ इक्कासी लाख उन्सठ हजार दो सौ बीस मात्र) एवं ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के अन्तर्गत ४९५ हे० अवन्त वनभूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के आधार पर रु० ६,६९,०९,१५० /- (मु० छः करोड़ उनहत्तर लाख नौ हजार एक सौ पचास रुपये मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, शीर्ष के खाता संख्या-१५०९०५७२०२६९४४१ में जमा कर दिया गया है। |
| 13.      | The State Government and the User Agency should ensure strict compliance of the various components of the Terms of reference.                                                                                                                                                                                                                                    | इस बिन्दु के क्रम में वनव्यवस्था प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कमेटी द्वारा दिये गये सभी सुझावों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है (व्यवस्था प्रमाण पत्र संलग्नक-१२)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

दिनांक: 28/04/2025

संलग्नक - पत्रांक: 943/क0नि0ख0-3,पि0/वनभूमि/

| क्र0<br>सं0 | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू.पी.02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020 (संलग्नक-1) में अंकित भातों का विवरण। | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्र संख्या-2229/रेनुकूट/15-117 रेनुकूट, दिनांक 17.01.2021 (संलग्नक-2) द्वारा निर्देशित किये गये बिन्दु। | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.         | Compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.03.2014 shall be ensured.                                                                                                                                   | इस बिन्दु के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित-अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.03.2014 के अनुपालन संबंधी पूर्ण विवरण टेबुलर फार्म में प्रस्तुत किया जाय।  | माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है। विन्दुवार आदेश का अनुपालन आख्या संलग्न है। (संलग्नक-13)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.         | CAT Plan has to be approved by the Ministry which should be taken up by the State Government and copy of approved CAT Plan shall be submitted to this office.                                               | इस बिन्दु के क्रम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार से अनुमोदित कैट प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाय।                                                                      | CAT प्लान तैयार कर उचित नायन से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ को पत्रांक-531 /क0नि0ख0-3, पि0/वनभूमि/ दिनांक 22.01.2022 द्वारा स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये 15 शर्तों में से 14 शर्तों के अनुपालन के पश्चात कैट प्लान स्वीकृत किया जायेगा। |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

28.04.2025

(विनोद कुमार)  
अधिक्षासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम  
पिपरी-सोनमद्र

पत्रांक: /क0नि0ख0-3,पि0/वनभूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, कनहर सिंचाई परियोजना, विन्ध्याचल, मिर्जापुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी-सोनमद्र।
3. अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल-2, मीरजापुर।
4. अधिक्षासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनमद्र।

(विनोद कुमार)  
अधिक्षासी अभियन्ता



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 220024  
Rashtriya Bhawan, 5th Floor, Sector-6, Aliganj, Lucknow-226024, Tel: 2326698, 2324340, 2324047, 2324029  
Email: (Env.) m\_envs@rediffmail.com, (Forest) golmostr@rediffmail.com

पत्र संख्या-8वीं/यूपी/02/31/2018/एफ.सी/446

दिनांक: 28.05.2020

सतत में

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

**ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016**

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक - पी 28/81-2-2020-800(118)/2017, लखनऊ, दिनांक - 27.02.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-143/14-2-2018-800(118)/2017, लखनऊ, दिनांक-19.03.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण को दिनांक-18.05.2020 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 47.1-UP) ज्ञानित किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः केन्द्र सरकार सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127 1637 ha. non forest land (Renukoot 103.675 ha.. Obra 23.4887 ha.) in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village- Bhisur, Kotachi, Kudari, Tehsil- Not provided, District- Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department.
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
6. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 127.1637 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

प्रमुख  
18.05.2020

7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
8. The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
9. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
10. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
11. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
12. Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha. non forest land and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approval scheme shall be deposited in advance with the forest department by the project authority.
13. The State Government and the User Agency should ensure strict compliance of the various recommendations made in the report of the committee on different components of the Terms of Reference.
14. Compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.03.2014 shall be ensured.
15. CAT plan has to be approved by the Ministry which should be taken up by the State Government and copy of approved CAT plan shall be submitted to this office.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ० प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-II, Allgauj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc2.lko-mef@gov.in, m\_env@rediffmail.com

संलग्नक-12 शुद्धि पत्र-1 357

दिनांक: 10.07.2020

पत्र सं० 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी. 1730

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)  
एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: 10.07.2020  
दिनांक: 10.07.2020  
अभिधीय पदायक: एफ.सी.  
शुद्धि पत्र-1

**ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016**

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में शुद्धि पत्र जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त जारी शुद्धि पत्र में शर्त संख्या 12 में टंकण त्रुटिवश degraded forest land के स्थान पर non forest land टंकित हो गया है। अतः शर्त संख्या 12 को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

शर्त संख्या-12 Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha degraded forest land (as per the recommendation of the committee by Hon'ble NGT) and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approved scheme shall be deposited in advance with the forest department by the project authority.

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ० प्र०।

3. अधिशारी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

एफ.सी.  
G.E.  
शुद्धि पत्र-1

दिनांक 20.15.2021  
दिनांक 07.01.2021  
सम्बन्धित महामय  
श्री 08/0क.0नि.0ख.0-3 पिपरी-सोनभद्र 15



## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-2229/ रेनुकूट / 15-117 रेनुकूट, दिनांक, जनवरी, 07, 2021  
सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-3  
पिपरी-सोनभद्र ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8वीं/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 2078/11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 02.06.2020
- 3-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक- 2133/11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 09.06.2020
- 4-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 45/रेनुकूट/15-117 दिनांक-03.07.2020
- 5-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8वीं/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./730 दिनांक-10.07.2020
- 6-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-112/11-सी- FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक- 15.07.2020
- 7-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 205/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 16.07.2020
- 8-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1243/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 19.10.2020
- 9-आपका पत्र संख्या- 675/क०नि०ख०-3पि०/वन भूमि दिनांक- 28.10.2020
- 10-आपका पत्र संख्या- 734/क०नि०ख०-3पि०/वन भूमि दिनांक-27.11.2020
- 11-इस कार्यालय का पत्रांक- 1667/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 27.11.2020
- 12-आपका पत्र संख्या- 759/क०नि०ख०-3 पि०/वन भूमि दिनांक- 10.12.2020
- 13-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 1873/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 15.12.2020
- 14-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 1468/11-सी FP/UP/Irrig/20269/2016 लखनऊ दिनांक-22.12.2020
- 15- इस कार्यालय का पत्र संख्या- 2093/रेनुकूट/15-117 दिनांक- 26.12.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 28.05.2020 जो विशेष सचिव (वन) उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन लखनऊ को सम्बोधित है तथा आपको भी, पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें । भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 28.05.2020 द्वारा 15 (पन्द्रह) शर्तों के अधीन जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210

DIYAN  
07.01.2021  
E.E.

भूमि के पातन की सौदामनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त सौदामनिक स्वीकृति आदेश में अंकित शर्त संख्या 12 में अधिरोपित अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 1295 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने के स्थान पर 1295 हे० अवगत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त को भारत सरकार ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक-10.07.2020 द्वारा संशोधित किया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सौदामनिक स्वीकृति आदेश दिनांक-28.05.2020 व संशोधित आदेश दिनांक- 10.07.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रागरत शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में निम्नानुसार पाँच प्रतियों में संशोधित मॉग पत्र के अनुसार आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें :-

| क्र० सं०    | भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य ) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक-28.05.2020 में अंकित शर्तों का विवरण                                                                                                                                                                                            | अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका विवरण (रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|------|-------|---------|------|-------|---------|-----------|-------|---------|----------|--|----------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| 1           | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| 2           | Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण सहित कब्जा आदि संबंधी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि का हस्तांतरण निम्नानुसार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।                                                                                                                                                       |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| 3           | Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.1637 ha. Non forest land (Renukoot 103.675 ha, Obra 23.4887 ha) in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village-Bhisur, Kotachi, Kudari, Tehsil-Not provided, District-Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. | इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 127.1637 हे० के सापेक्ष कुल 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-भिसुर, कोरची एवं कुदरी में वन विभाग को उपलब्ध कराया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है । उक्त गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण सहित कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरान्त वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा । |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| 4           | The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल 160.7608 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रेंज का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में )</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बभनी</td><td>भिसुर</td><td>69.8110</td></tr> <tr> <td>बभनी</td><td>कोरची</td><td>62.8016</td></tr> <tr> <td>विण्ढमगंज</td><td>कुदरी</td><td>28.1482</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग-</td><td>160.7608</td></tr> </tbody> </table> <p>उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग उ०प्र०</p>                 | रेंज का नाम | ग्राम का नाम | गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में ) | बभनी | भिसुर | 69.8110 | बभनी | कोरची | 62.8016 | विण्ढमगंज | कुदरी | 28.1482 | कुल योग- |  | 160.7608 |
| रेंज का नाम | ग्राम का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| बभनी        | भिसुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69.8110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| बभनी        | कोरची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.8016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| विण्ढमगंज   | कुदरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.1482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |
| कुल योग-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160.7608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                                     |      |       |         |      |       |         |           |       |         |          |  |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>सरकार रेनुकूट वन प्रभाग के नाम<br/>हस्तांतरण/नामान्तरण एवं अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त<br/>कराते हुए उससे संबंधित खतौनी व मानचित्र की प्राप्ति</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5 The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.</p>                                                                        | <p>निगरिग चार्ट सहित उपलब्ध करायी जाय।<br/>इस बिन्दु के क्रम में परियोजना में प्रभावित 127.1637 हे० वन भूमि के सापेक्ष रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 160.7608 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूर्क वनीकरण करने हेतु प्रभाग द्वारा तैयार किये गये क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल नम अनुमान पत्र के अनुसार 160.7608 हे० हे० 1,35,170/- प्रति हे० की दर से रु० 21730037.336 या 21730037 (गु० दो करोड़ सत्तरह लाख तीस हजार चौतीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।</p>                                                                                                                                                                            |
| <p>6 The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 127.1637 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.</p> | <p>इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-11 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में रेनुकूट वन प्रभाग का हरियाली का धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सघन वन की श्रेणी में आता है। भारत सरकार के पत्र दिनांक-05.02.2009 में इको क्लास-111 Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु० 8,87,000.00 प्रति हे० निर्धारित किया गया है। अतः परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि 103.675 हे० X 8,87,000.00 प्रति हे० = रु० 9,19,59,725.00 (गु० नौ करोड़ उन्नीस लाख उन्सठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय</p> |
| <p>7 Additional amount of the NPV of the diverted forest lan, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय कि एन०पी०वी० की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>8 The Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 18282 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है। मीरजापुर क्षेत्र उ०प्र० मीरजापुर के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यों की पुनरीक्षित अनुसूचित दरें रु० 201/-प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु 7.16 प्रति पौध कोलतार का कीमत एवं सागरी व शगांश</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

साहित निर्धारित किया गया है। अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का कौट करे:-

| प्रभाग का नाम | प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या | गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पौध | गणना/छपान हेतु निर्धारित धनराशि |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| रेनुकूट       | 10282                                            | 7.15/-                                | 1,30,716.30 या 1,30,716/-       |

उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रु. 1,30,716/- (मू० एक लाख तीस हजार सात सौ एकसठ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रमाणीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर जमा हो/संलग्न चालान के माध्यम से जमा कराते हुए उपलब्ध कराया जाय।

उक्त के अतिरिक्त इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रभावित वृक्षों के पातन किये जाने एवं दुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ०प्र० वन निगम रेनुकूट द्वारा गौण की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.                                                                                                                                                   | इस बिन्दु के क्रम में दक्षित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                | इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (ए-०पी०वी० की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय। |
| 11 | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                            | इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाने के उपरान्त उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उससे संबंधित रिलप की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय।                                                                                                                            |
| 12 | Additional compensatory afforestation shall be raised on 1295 ha. degraded forest land (as per the recommendation of the committee by Hon'ble NGT) and enrichment plantation also shall be taken up and cost for the same at the prevailing wage rates as per approval scheme shall | इस बिन्दु के क्रम में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत 800 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु संलग्न माडल व्यय अनुमान पत्र के आधार पर निर्धारित धनराशि रु० 1,40,910 प्रति हे० की दर से 800 हे० X 1,39,170 = रु० 108136000/- एवं पूर्व में हुये वनीकरण 813 666 हे० वन भूमि पर enrichment plantation                                |

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | be deposited in advance with the forest department by the project authority.                                                                                                                   | हेतु 666.00 X 1,35,170 = 90023220 अर्थात् 108136000 + 90023220 = 198159220 (मु० उन्नीस करोड़ इक्कासी लाख सन्सठ हजार दो सौ बीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय । |
| 13 | The State Government and the User Agency should ensure strict compliance of the various recommendations made in the report of the committee on different components of the Terms of Reference. | इस बिन्दु के क्रम में वननवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय ।                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.03.2014 shall be ensured.                                                                                                                      | इस बिन्दु के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक- 11.03.2014 के अनुपालन संबंधी पूर्ण विवरण टेबुलर फार्म में प्रस्तुत किया जाय ।                                                                                                  |
| 15 | CAT Plan has to be approved by the Ministry which should be taken up by the State Government and copy of approved CAT Plan shall be submitted to this office.                                  | इस बिन्दु के क्रम में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार से अनुमोदित कैट प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाय ।                                                                                                                                                                       |

संलग्नक:-व्यय अनुमान पत्र का माडल ।

भवदीय  
(एम०पी०सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

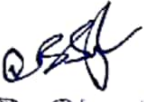
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

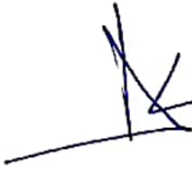
- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
- 3- जिलाधिकारी सोनभद्र
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
- 5- उप जिलाधिकारी दुहरी(सोनभद्र) ।
- 6- उप प्रभागीय वनाधिकारी ग्योरपुर को सूचनार्थ एवं आशय से प्रेषित कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बभनी एवं विण्डमगंज रेंज अन्तर्गत उपलब्ध कराये जानी वाले गैर वन भूमि को आप भी अपने स्तर से निरीक्षण करते हुए वनीकरण हेतु उपयुक्त होने के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय ।
- 7- तहसीलदार दुहरी(सोनभद्र) ।
- 8- क्षेत्रीय वन अधिकारी बभनी एवं विण्डमगंज रेंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम-भिसुर, कोरपी एवं कुदरी में उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने हेतु 160.7600 हे० गैर वन भूमि प्रस्तावित किया गया है । उक्त गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण एवं राजस्व अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण /नामान्तरण कराते हुए उससे संबंधित खतौनी, वियरिंग चार्ट एवं मानचित्र की प्रति अतिक्रमण रहित कब्जा प्राप्त करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त पंच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जा निश्चित करें ताकि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें ।

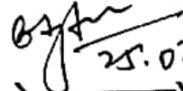
(एम०पी०सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

## वन भूमि की वैधानिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं इसकी समस्त प्रणालियों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे० एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु कुल 127.1637 हे० वन भूमि की वैधानिक स्थिति (Legal Status) में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसकी वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

  
V. B. Singh  
Executive Engineer  
K.C.D.I. Pipri, Sonabhadra

  
25/02/2025  
(दिलीप कुमार)  
अधिशायी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड द्वितीय  
पिपरी, सोनभद्र

  
25.02.2025  
(विनोद कुमार)  
अधिशायी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड तृतीय  
पिपरी, सोनभद्र

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

11/11/11

कछ्जा सौपने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम

महार सद्दिन

1947

卷之六

卷之五

卷之四

**प्रमाणीय वनाधिकारी**

पेनुकट वन प्रभाग, पेनुकट

3

③

कल्याण जाणू वाले का हस्तक्षिप / नाम / पदनाम

五言古詩

1312

## कब्जा प्रमाण-पत्र

जनपद-सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओवरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यूपी./02/31/2018/एफ.सी./648 दिनांक- 28.05.2020 द्वारा 15 (पन्द्रह) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश प्रदान की गयी तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ के संशोधित पत्र संख्या- 8बी/यूपी./02/31/2018/एफ.सी./730 दिनांक- 10.07.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित शर्त संख्या- 12 में आंशिक संशोधन किया। भारत सरकार द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक- 28.05.2020 व संशोधित आदेश दिनांक- 10.07.2020 में अधिरोपित शर्त संख्या- 2, 3, 4, व 11, के अनुपालन किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल 160.7808 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया,। बमनी रेंज अन्तर्गत ग्राम- भिसुर में प्रस्तावित किये गये 69.8110 हे० गैर वन भूमि एवं ग्राम-कोरची में प्रस्तावित किये गये 62.8016 हे० गैर वन भूमि का कब्जा आज दिनांक- 01/04/2025 को प्रयोक्ता अभिकरण के नामित प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया गया। कब्जा प्राप्त करने के समय मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। उपरोक्त शर्तों का वन विभाग के वन न्याय प्रमाण हेतु 29.07.2025 को कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष कुल 160.7808 हे० गैर वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया,।

कब्जा सौंपने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम

मुहर सहित

बहायक अभियन्ता (तृतीय)  
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम  
पिपरी-सोनभद्र

कब्जा प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर/नाम/पदनाम

मुहर सहित

उपस्थित प्रमाणित  
प्रमाणित

(पी० पी० चौबे)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
बमनी रेंज  
रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

संलग्नक - 6 (1/2)

| Debit Amount   |              |             |                 | Debit Amt    |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| Token No.      | Bill Reg No. | Name        |                 |              |
| 6921055727     | C708900037   | SONBHADRA   |                 | 399592609    |
| Credit Amount  |              |             |                 | Credit Amt   |
| Beneficiary Id | Name         | IFSC Code   | UTRNO.          | Status       |
| 13690000308919 | UOC CAMPA    | CORP0000371 | RM0132197644888 | BOOK         |
|                |              |             |                 | Payment Date |
|                |              |             |                 | 2021-01-12   |
|                |              |             |                 | TOTAL        |
|                |              |             |                 | 399592609    |

25.02.2025

ई० विनोद कुमार  
अधिशारी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

2101115-6 (2/2)

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

**Proposal Detail**

1. Proposal No. : FM/UP/IRRIG/20269/2016
2. Proposal Name : FOREST LAND PROPOSED TO BE DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF KANHAR IRRIGATION PROJECT FOR AREA OF 127.1637 HA. IN SONBHADRA DISTRICT (UP)
3. Category of the Proposal : Irrigation
4. Date of In-principle : 21/02/2017

**5. Name of the Applicant with Contact Details**

- Name : Kanhar Irrigation Project
- Mobile No. : 8874707111
- Email ID : eeked1pinriup@gmail.com
- State : Uttar Pradesh
- District : Sonbhadra
- Pincode : 231208

**Funds Demand Details**

1. Compensatory Afforestation :Rs. 21730037/-
2. Additional Compensatory Afforestation :Rs. 265068370/-
3. Penal Compensatory Afforestation :Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment :Rs. 0/-
5. Safety Zone :Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area :Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV) :Rs. 112794202/-
8. Other Charges :Rs. 0/-
9. Other Charges1 :Rs. 0/-
10. Other Charges2 :Rs. 0/-
11. Other Charges3 :Rs. 0/-
- Total Amount :Rs. 399592609/-

प्रमाणित प्रमाणित  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

25.02.2025  
इ. विनोद कुमार  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.  
(System Administrator)

संलग्नक-6

19/01/2021

प्रधानीय वनाधिकारी  
देवपुर वन प्रभाग, देवपुर  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

20/01/2021  
आदिवासी अधिकारी  
वनहर निर्माण खण्ड-द्वितीय  
प्रियंवा-सोनभद्र

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 09-01-2021

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Agency Name.     | Kanhar Irrigation Project               |
| Application No.  | 5720269441                              |
| MoEF/SG File No. | 83/UP/02/31/2016/FC                     |
| Location.        | UTTAR PRADESH                           |
| Address.         | Kanhar Construction Division, Sonbhadra |
| Amount(In Rs)    | 399592609/-                             |

Amount in Words :Thirty-Nine Crore Ninety-Five Lakh Ninety-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | UTTAR PRADESH CAMPA                                                                                              |
| IFSC Code:           | CORP0006371                                                                                                      |
| Pay to Account No.   | 150905720269441<br>Valid only for this challan amount.                                                           |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11, CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

NEFT/RTGS CHALLAN

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 09-01-2021

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Agency Name.     | Kanhar Irrigation Project               |
| Application No.  | 5720269441                              |
| MoEF/SG File No. | 83/UP/02/31/2016/FC                     |
| Location.        | UTTAR PRADESH                           |
| Address:         | Kanhar Construction Division, Sonbhadra |
| Amount(In Rs)    | 399592609/-                             |

Amount in Words :Thirty-Nine Crore Ninety-Five Lakh Ninety-Two Thousand Six Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | UTTAR PRADESH CAMPA                                                                                              |
| IFSC Code:           | CORP0006371                                                                                                      |
| Pay to Account No.   | 150905720269441<br>Valid only for this challan amount.                                                           |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11, CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

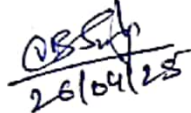
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

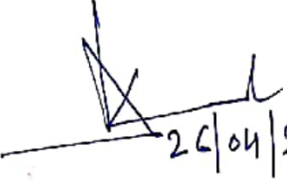
संलग्नक-7

# क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं इसकी समस्त प्रणालियों के निर्माण हेतु 127.1637 हे० वन भूमि के बदले 160.7608 हे० गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कराया जाना है क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी होने पर प्रभाग द्वारा या उच्च स्तर से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती तो उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

  
26/04/25  
**अधिशाली अभियन्ता**  
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम  
पिपरी, सोनभद्र

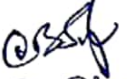
  
26/04/2025  
**(दिलीप कुमार)**  
अधिशाली अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड द्वितीय  
पिपरी, सोनभद्र

  
26.04.2025  
**(विनोद कुमार)**  
अधिशाली अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

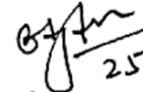
  
**प्रभागीय वनाधिकारी**  
रेनुडूट वन प्रभाग, रेनुडूट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

## वन भूमि की एन0पी0वी0 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं इसकी समस्त प्रणालियों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे० एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु कुल 127.1637 हे० वन भूमि की एन0पी0वी0 की वर्तमान धनराशि के अतिरिक्त यदि भविष्य में कोई बढ़ोत्तरी होती तो उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

  
**V. B. Singh**  
 Executive Engineer  
 K.C.D. Pipri, Sonabhadra

  
 25/02/2025  
 (दिलीप कुमार)  
 अधिशासी अभियन्ता  
 कनहर निर्माण खण्ड द्वितीय  
 पिपरी, सोनभद्र

  
 25.02.2025  
 (विनोद कुमार)  
 अधिशासी अभियन्ता  
 कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
 पिपरी-सोनभद्र

  
**प्रमोदीय वनाधिकारी**  
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
 (सोनभद्र, उत्तर प्रदेश)

कोषागार प्रपत्र-209(1)  
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2  
प्रपत्र संख्या 409 (1)  
(परचर 447 एवं 476 के अन्तर्गत)

संलग्नक-9

27

### धनराशि जमा करने का वालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा भारतीय स्टेट बैंक, रावतसंगम, सोनभद्र।  
जिस व्यक्तित्व/पक्ष का नाम यदि आवश्यक हो अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र।  
जिस नाम से धनराशि जमा की जा रही है उपकोषागार नाम  
धनराशि का प्रमाणिक वनाधिकारी जो बचत प्रमाणिक  
धनराशि संख्या/पक्ष का नाम यदि संख्या 3152  
जिस नाम से धनराशि जमा की जा रही है धनराशि का पूर्ण विवरण जमापत्र संख्या के आधार पर प्रमाणिक वनाधिकारी के अन्तर्गत कनहर निर्माण परियोजना के मुख्य गहरों एवं प्रमाणिक वनाधिकारी के प्रमाणिक वनाधिकारी की 103.075 एवं अधिशासी अभियन्ता के गहरों के प्रमाणिक वनाधिकारी की 10202 वनाधिकारी के प्रमाणिक वनाधिकारी की सादर तैयार करने हेतु जमापत्र/प्रमाणिक वनाधिकारी  
जमा की सकल राशि रु 130716.00  
जमा की निवल राशि रु 130716.00  
जमापत्र संख्या का पूर्ण/विवरण/लेखाशीर्षक की संख्या B782-00-103-01-01  
जमा की संख्या का 13 डिजिट कोड B782-00-103-01-01

| जमा संख्या | जमा संख्या - शेषिका | जमा संख्या - शेषिका | जमा संख्या - शेषिका | जमा संख्या - शेषिका | जमा राशि (अंश ग) |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 7 4 2      | 0 0                 | 1 0 3               | 0 1                 | 0 1                 | 130716.00        |
|            |                     |                     |                     |                     |                  |
|            |                     |                     |                     |                     |                  |

जमा राशि (अंश ग) रुपये एक लाख तीस हजार सात सौ सोलह मात्र।

योग 130716.00

जमापत्र संख्या की पुष्टि करने वाले  
अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर सहित

अधिशासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

### केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

|            |            |               |  |
|------------|------------|---------------|--|
| जमा संख्या | 202890000  | अंश ग रु      |  |
| जमा संख्या | 12-12-2020 | शब्दों में रु |  |

प्रादाकर्ता, वनाधिकारी

प्रादा किया  
उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

इ. व. किनोद कुमार  
अधिशासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

प्रमाणिक वनाधिकारी  
रजुवट वन प्रमाण, रजुवट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

कोषागार प्रपत्र-209(1)  
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2  
प्रपत्र संख्या-43ए (1)  
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा - भारतीय स्टेट बैंक, शारदाभवन, सोनभद्र।  
लेखा अभिलेखांक (यदि आवश्यक हो) - अधिशासी अभियन्ता, कोषागार निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र।  
संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है

प्रमाण - प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग।

पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व यदि संख्या 3097

आवश्यक हो)

जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि भिन्ना हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु ओबरा वन प्रभाग की 23.4087 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2920 वृक्षों के पतन हेतु वृक्षों की लाटें तैयार कराने हेतु गणना/छपान पर आने वाले धनराशि

चालान की सकल राशि

रु० 20935.00

चालान की निवल राशि

रु० 20935.00

लेखाशीर्षक का पूर्ण/विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर 8782-00-103-01-01

लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड 8782-00-103-01-01

| मुद्रा - शीर्षक | उप मुख्य-शीर्षक | उप-शीर्षक | उप-शीर्षक | ओबरा-शीर्षक | धनराशि (अंको में) |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| 7 8 2           | 0 0             | 1 0 3     | 0 1       | 0 1         | 20935.00          |
|                 |                 |           |           |             |                   |
|                 |                 |           |           |             |                   |

रु० 20935.00 (दोहते में) रुपये बीस हजार नौ सौ पैंतीस मात्र।

योग 20935.00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले  
निमाधिकारी के हस्ताक्षर सहित

अधिसासी अभियन्ता  
कोषागार निर्माण कार्यक्षेत्र  
पिपरी

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

70890003 अंको में रु०  
17/12/2020 अंको में रु०  
17/12/2020

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

25.02.2020  
ई० विनोद कुमार  
अधिसासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

|  |
|--|
|  |
|  |

प्राप्त किया  
उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

## FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttar Pradesh

Officer of the District Collector Sonebhadra

No- 1052-2/अ.न.क.न./वि.स.न./स.न.- 1

Dated- 4/4/16.

## To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter 11-98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 63.9334 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of EXECUTIVE ENGINEER, KANHAR CONSTRUCTION DIVISION-I, PIPRI-SONEBHADRA for Kanhar Irrigation Project in Sonebhadra district falls within jurisdiction of Pakari, Humeldohar, Phoolwar, Jorukhar, Harpura, Goitha, Baghadoo, Nagwa, Dighul, Tedha, Japla, Doomardiha, Dumhan and Jharo-khurd Villages in Dudhi Tehsils and Bagesoti, Kachnarawa, Milihiniya, Karail, Kishunpurwa, Kharaundhi, Piparkhand, Kudwa, Gidhiya, Ronwa, Bagiya and Naudiha Villages in Robertsganj Tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 63.9334 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Divisional Level Committees(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....E'.....to annexure.....I'.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- The proposals does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl :- As above.



Signature

*(Handwritten Signature)*  
 (Chandra Bhushan Singh)  
 District Collector Sonebhadra

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttar Pradesh

Officer of the District Collector Sonebhadra

14 96 - A / 270370 / 40170 50 90 / 090 200 / 007 - 4

Dated- 20.12.2014

No-

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter 11-ES-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 62.7805 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of EXECUTIVE ENGINEER, KANHAR CONSTRUCTION DIVISION-I, PIPRI-SONEBHADRA for Irrigation Project (Kanhar Irrigation Project) in Sonebhadra district falls within Jurisdiction of BAGHADU, RANNU, MAHUARIYA BLOCK, JAPLA, DUMARDIHA, DUMHAAN BEEDAR, GOITHA, CHHATTARPUR, DHORPA, HUMELDOHAR, BOM, JAM-PANI, JATAJUA, BHAGIYA-BLOCK, WINDHAMGANJ AND HARNAKACHHAR-BLOCK village (s) in Dudhhi tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 62.7805 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....  
to..... annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- The proposals does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

  
(Dinesh Kumar Singh)  
District Collector Sonebhadra

35

54

FORM-I

Annexure-11

(for linear projects)

Government of Uttar Pradesh

**Officer of the District Collector Sonebhadra**

No- 1496-B / 3rd Sro / 3rd Sro / 3rd Sro / 3rd Sro / 3rd Sro / 3rd Sro - 4

Dated- 20.12.2014

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter 11-198-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.4498 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of EXECUTIVE ENGINEER KANHAR CONSTRUCTION DIVISION-I PIPRI SONEBHADRA for Kanhar Irrigation Project in Sonebhadra district falls within jurisdiction of Kudwa Villages (s) in Robertsganj Tehsils.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.4498 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....(E).....to.....(H)..... annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposals does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl :- As above.

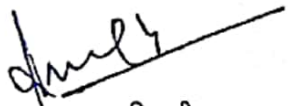
 Signature

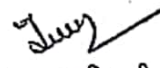
(Full name and official seal of the District Collector)  
**जिलाधिकारी**  
**सोनभद्र**

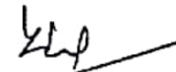
वन अधिकार अधिनियम-2006 (Settlement of Rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers) के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्ति

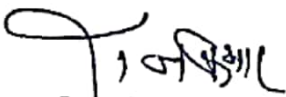
आज दिनांक 04/04/2016 को वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरें-दायीं कनहर नहर (लम्बाई 31.50 कि०मी०) एवं बायीं कनहर नहर (लम्बाई 25.60 कि०मी०) के समस्त राजवाहों एवं अल्पिकाओं तथा बायीं व दायीं पाण्डु वेसिन नहर के समस्त नहर प्रणालियों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 40.8945 हे० वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के 23.0389 हे० वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम-2006 (Settlement of Rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers) के प्राविधानों के अन्तर्गत चर्चा की गयी तथा समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुँची कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वन भूमि को कनहर सिंचाई परियोजना के हस्तान्तरण से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं है। दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज तहसील के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले 63.9334 हेक्टेयर वन भूमि को कनहर सिंचाई परियोजना, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की मुख्य नहरों एवं इसकी समस्त नहर प्रणालियों के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः समिति द्वारा उक्त वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

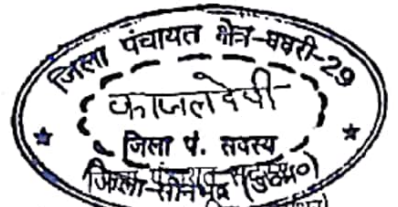
  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सोनमद्र  
विद्यापूर, जिला सोनमद्र

  
प्रगाथीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग  
प्रगाथीय वनाधिकारी  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
जिलाधिकारी  
सोनमद्र  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
जिला पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
जिला पंचायत क्षेत्र-सबरी-29  
काजलदेवी  
जिला प. तपस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

वन अधिकार अधिनियम-2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers) के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति का कार्यगुत्ति

आज दिनांक-27.02.2015 को वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक आयुक्त की गयी। उक्त बैठक में कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरें-दॉयी कनहर नहर कि०मी० 0.000 से 31.500 एवं बॉयी कनहर नहर के कि०मी० 0.000 से 25.600 के मध्य 63.2303 हे० वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम-2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers) के प्राविधानों के अन्तर्गत चर्चा की गयी तथा समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं है तथा तहसील-दुद्धी तथा रावट्सगंज के अन्तर्गत 63.2303 हे० वन भूमि को कनहर सिंचाई परियोजना, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सोनमद्र  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

प्रभुसिंह - सदस्य  
जिला पंचायत  
सोनमद्र

जिलाधिकारी  
सोनमद्र  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
जिलाधिकारी, सोनमद्र

जिला पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

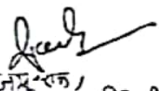
अद्वैत कुमार मोहिया  
जिला पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
सोनमद्र

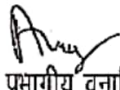
जिला पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
धनौर

जिला पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

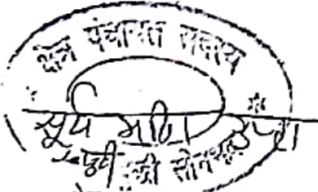
आज दिनांक 08/12/2015 को वन अधिकार-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरें दायीं कनहर नहर एवं बायीं कनहर नहर का जो भाग दुद्धी तहसील के अन्तर्गत आता है, से निकलने वाली अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु 40.8945 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी।

कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरें दायीं कनहर नहर एवं बायीं कनहर नहर का जो भाग दुद्धी तहसील के अन्तर्गत आता है, से निकलने वाली अल्पिकाओं एवं राजवाहों के संरेखण से प्रभावित होने वाली 40.8945 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित, जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील-दुद्धी के अन्तर्गत 40.8945 हे० वन भूमि को कनहर सिंचाई परियोजना हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की दुद्धी तहसील के अन्तर्गत मुख्य नहरें दायीं कनहर नहर एवं बायीं कनहर नहर का जो भाग दुद्धी तहसील के अन्तर्गत आता है, से निकलने वाली अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

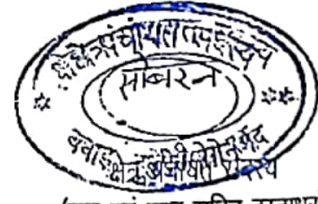
  
(उप-विभागीय अधिकारी)  
सहायक निदेशक (वन अधिकार-2006)  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

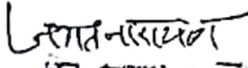
  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
रेनुकूट वन प्रभाग  
रेनुकूट, सोनभद्र  
मु. नं. 1/ देवी

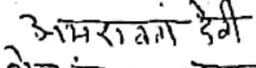
  
उप जिलाधिकारी  
दुद्धी, सोनभद्र  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

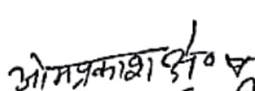
  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

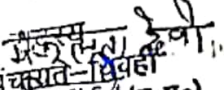
  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

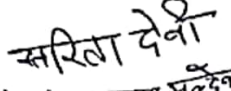
  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

आज दिनांक 16.12.2014 को वन अधिकार-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरें-दायीं कनहर कि०मी० 0.000 से 29.400 एवं बायीं कनहर नहर के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 25.600 के मध्य 62.7805 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित, जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील-दुद्धी के अन्तर्गत 62.7805 हे० वन भूमि को कनहर सिंचाई परियोजना हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य नहरों के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

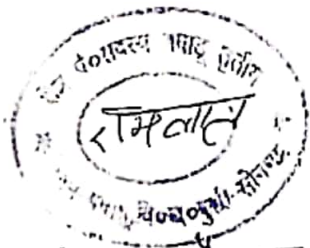
*(Signature)*

*(Signature)*  
सहायक विकास अधिकारी (वन)

*(Signature)*  
सहायक विकास अधिकारी (वन)  
दुद्धी-सोनगढ़

*(Signature)*  
उप प्रगाणीय वनाधिकारी (पिपरी)  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
उ.प्र.व.अ.

उप जिलाधिकारी  
दुद्धी, सोनगढ़  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)



सहायक विकास अधिकारी (वन)  
दुद्धी-सोनगढ़

सौवरन कन्नौजिया  
क्षेत्र पंचायत सदस्य दुधरीडा II  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

पिपरी  
रामपुरतपाज (क्षेत्र पंचायत)  
दुधरीडा II

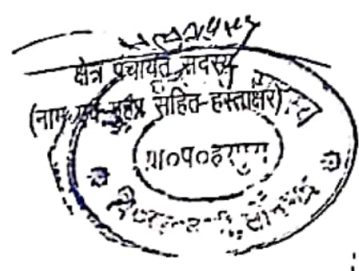
क्षेत्र पंचायत सदस्य दुधरीडा II  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्र पंचायत सदस्य दुधरीडा I  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

नीलम सिंह  
क्षेत्र पंचायत सदस्य राजखंड II  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

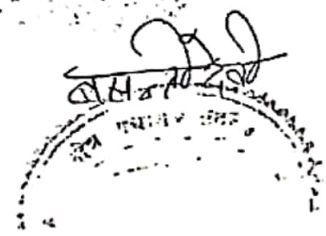
मीनादेवी  
पकरी

धनमनिषा देवी  
क्षेत्र पंचायत सदस्य  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)



क्षेत्र पंचायत सदस्य पयलिया  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

मनबलिया देवी  
बघाडू I



आज दिनांक 18/12/2015 को वन अधिकार-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में कनहर सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 23.0389 हेक्टेयर वनभूमि पर वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुरक्षित, जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुरक्षित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है, तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील राबर्टसगंज के अन्तर्गत 23.0389 हेक्टेयर वनभूमि को कनहर सिंचाई परियोजना हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नहर के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

तहसील अधिकारी (राबर्टसगंज)  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
विद्यालक्ष्मी राय  
मोबायल

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

उपजिलाधिकारी  
राबर्टसगंज सोनभद्र  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

आज दिनांक 16.12.2014 को वन अधिकार-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में कनहर सिंचाई परियोजना की दायीं कनहर नहर के निर्माण हेतु 0.4498 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित, जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नहीं है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील-राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत 0.4498 हे० वन भूमि को कनहर सिंचाई परियोजना हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दायीं कनहर नहर के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सहायक विकास अधिकारी (स०क०)  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
सहायक विकास अधिकारी  
(सहकारिता)  
ख० वि० कार्यालय चोपन  
सोनमद्र

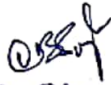
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
चोपन  
ओबरा वन प्रभाग सोनमद्र

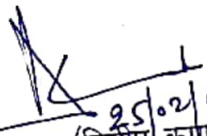
उप जिलाधिकारी  
राबर्ट्सगंज, सोनमद्र  
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं इसकी समस्त प्रणालियों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे० एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि कुल 127.1637 हे० वन भूमि की गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक 28.05.2020 में अंकित शर्त संख्या-13 के अनुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित समिति द्वारा दिये गये सभी सुझावों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा । इसकी वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

  
V. B. Singh  
Executive Engineer  
K.O.D.F. Dept., Sonabhadra

  
(दिलीप कुमार)  
अधिशायी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड द्वितीय  
पिपरी, सोनभद्र

  
(विनोद कुमार)  
अधिशायी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी, सोनभद्र  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

संलग्नक-13

**Observation & Compliance of committee constituted as order of Hon'ble  
National Green Tribunal (NGT)**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The committee constituted by Hon'ble NGT observed as following on different para-                                                                                                                                                                     | Committee constituted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. The Committee shall specifically report whether the conditions imposed in the consent order dated 14 <sup>th</sup> April, 1980 and 27 <sup>th</sup> February, 1982 of the Forest Department have been strictly complied with or not, in all respects. | <p><u>Committee's observation-</u><br/> <u>Environment clearance (Order date 14-04-1980)</u><br/> <u>Condition-1</u><br/> Satisfactory and such arrangement needs to be continued with.<br/> <u>Condition-2</u><br/> Such arrangements seem to be satisfactory but need documentation for future purposes.<br/> <u>Condition-3</u><br/> In addition to existing measures, Project proponent should ensure all time compliance with this condition and should carry out soil/water quality check in coordination with line departments on a regular basis. Further, health checkup and awareness camps in coordination with line departments should be organized.<br/> <u>Condition-4</u><br/> The R&amp;R colony is constructed in almost barren land. No tree was felled during construction work and at same time social forestry plantation had been done by project authority in consecutive year's till now.<br/> <u>Condition-5</u><br/> Socio economics profile of affected population was carried out at time of preparation of project report. The committee had recommended for new socio-economic study. Project proponent has done this study from Bhau Rao Devras Govt. Degree College, Duddhi. Hon'ble NGT in its order dated 30-08-2018 has directed take up further study on socio economic profile from reputed institution for which necessary is being action taken.</p> <p>(i) Condition-1 -The committee observed its satisfactory &amp; found complied with.<br/> (ii) Condition-2- the committee observed satisfactory and project proponent used forest land for the purpose for which transfer of land transferred.<br/> (iii) Conditions-3-Project proponent complies with the condition.</p> |

ई. वि. नोद कुमार  
अधिसासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(iv) Condition-4- Project proponent consent for disposal of remaining trees as per prevailing laws.</p> <p>(v) Conditions-5- Project proponent is complying with the condition.</p> <p>(vi) Condition-6- Project proponent paid Rs. 2907111.60 for planting ten times of the trees on 2422.593 areas to forest department.</p> <p>(vii) Condition-7- Project proponent paid Rs. 1211296.50 to concerned DFO and deposit was made in main subtitle of receipt A/c. titled in the in core expenditure headed by concerned DFO.</p> <p>(viii) Condition-8- No action needed.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. The Committee while examining the compliance of the conditions, as notice above, shall specifically report whether the condition has been complied with in its entirety or not. What is the status thereof and what steps are required to be taken in that regard? | The status of compliance of conditions has been discussed by committee member and steps which are required to be taken in this regard have been elaborated in various para's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Whether there is complete and comprehensive Resettlement and rehabilitation Policy in place in relation to the project.                                                                                                                                            | <p>In rehabilitation and resettlement policy initially government vide their Go No.-3050/79-23 Sch-3-17M/17 Sinchai Anubhag-3, Lucknow dt. 19-11-1979 issued directives which deals with land compensation and Ex gratia for the oustee. almost all the land of all 11 village of mutated in favour of project authority (ID) b/w 1977 to 1982 by SLAO, MZP after agitation of oustee govt. of UP made R&amp;R package for Kanhar Irrigation Project vide letter no.-2265/14-27 Sc.-1-112 (W)/4 Sinchai and Jal Sansadhan Anubhag-4, Dt. 30-10-2014. The amount decided i.e. Rs. 7,11,000/- based on right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation &amp; resettlement act 2013. A total of 2553 families of oustees benefitted under this package till now. A plot of size (50'x30x) has been distributed to 1884 families. Project proponent has been provided wide road with drain. electricity, school, hospital, post office, park, place for funeral activities. A total of 51 families have started living in rehabilitation colony.</p> <p><u>Chhattisgarh-</u> Survey of affected families has been completed in all six village viz. Trishulli, Jhara, Khusfar, Semarva, Kameshwar Nagar and Dhauli which are likely to be affected. A total of 42 families have been</p> |

ई० प्रिनोद कुमार  
अधिसासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>identified. A govt. of Chhattisgarh demanded Rs. 7034.30 lakh to its R&amp;R package which is paid by project proponent (UP). In current chhattisgarh state acquired land through Balrampur collector's.</p> <p><u>Jharkhand</u>- Survey of affected families has been completed in all four village viz. Fefsa, Bhuifor, Samourf Shuru and Paraspani Kala which are likely to be affected. A total of 66 families have been identified. A Govt. of Jharkhand demanded Rs. 7037.00 lakh to R&amp;R package for which total Rs. 61.42 cr. had been paid by project proponent (U.P). In current Jharkhand state acquired land through its district collector.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Modification in execution of the project, if any, required to ensure protection of environment and ecology in the execution of the project in question.                                                                                                                                                                                           | <p>Continuous operation of flow/release of environmental flow will be maintained by releasing appropriate water through two nos. of river sluice already constructed as a part of spillway.-</p> <p>The Committee Suggestion on installation of discharge measurement devices at key location in canal system and evolution of a rotation irrigation system to achieve equitable distribution of water amongst various reaches shall be compliance by us. Though these measures would be required at the time of actual irrigation so Compliance after project completion.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. The Committee is required to make its general recommendations, measures and the condition that should be imposed upon the project proponent to ensure that further progress of the project does not have any adverse impacts on ecology, environment, rivers, hydrology, and biodiversity and on all the surrounding forests, village and tribes. | <p>1- The fisheries management-</p> <p>(i) The State fisheries department has not sent any demand for fisheries management. The amount for development of fisheries management is not included in kanhar irrigation project. It is stated that even though it will impose additional burden on the kanhar project, the same if considered appropriate may be so directed by the Hon'ble Court.</p> <p>2- (i) In Construction of different component of project for quantities of Excavation a muck management plan has been formulated to manage the disposal of muck by us, and restore that area from further degradation of the environment. During construction of spillway, the excavated material i.e. sand, soil and rock are being utilized. A proper muck disposal plan has been given to the contractor to dispose the excavated material. Useful excavated rock is re-used as coarse aggregate. The remaining muck Disposed site selected by</p> |

ई० विनोद कुमार  
अधिशारी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | <p>considering the quantity of muck, landscape , cost Effectiveness, absence of ground and surface water, relief and scope for afforestation work. All Dumping location are well supported at base and at higher elevation by suitable retaining structures. All the spoil tips will be developed by taking a plantation through bio-technological method to generate a thick forest canopy over them. So that there are no reason of spilling of muck in river and threat to terrestrial &amp; aquatic environment and biota.</p> <p>(ii) The Compensatory afforestation on remaining 1295 Ha On degraded land as" Vindhyan Bio Diversity park" created on the basis of Eco restoration model imposed extra burden on project proponent at this stage, because at the time of initial forest clearance and handing over forest land. It has fully complied with the condition and payment has also done to forest department. The same is likely to impose an additional burden on the project cost.</p> <p>(iii) Since the Botanical survey of India described in its report that there are no rare or endangered species of plant then the case of Endemic plants of medicinal value doesn't arisen.</p> <p>(iv) The Committee constituted by Hon'ble Court also stated in para (6) that Eco-tourism promoted as means of improving livelihood of local people, so that project proponent shall compliance committee recommendation after completion of project.</p> <p>3- (i) The Catchment area treatment plan done by NRM GEO MATICS PVT Ltd. Office 19/224 sector-19 Indira Nagar Lucknow. The proposal of Catchment area treatment plan decided on the basis that Situation of soil erosion not arisen as per recommendation given by committee.</p> |
| 7. The Committee shall assess and examine the present status of the compensatory afforestation done by the forest department during 1984, 85 and 86 over an area of 666 hectares and 80 kms. on the | The present status of compensatory plantation carried out in year 1984, 1985 & 1986 to extent of 666.00 hac. in forest blocks and 80km. of linear pact assessed 12.68% survival. The reason behind less survival is anthropogenic and seraphic factor and completion of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

इ० विनोद कुमार  
अध्यक्ष अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

road side. The Committee shall make assessment of the survival percentage and the present status of compensatory plantation through random sampling.

rotation period of some species. The project proponent already paid Rs. 2907111.60 for planting ten times of the trees on the land measuring 2422.593 acres to forest department and Rs. 1211296.50 for land.

8. The Committee shall examine the proposal of Project Proponent with reference to the forest area already diverted (980.40 Hectare) and the balance area of 441.07 hectares that is required to be diverted in terms of the note prepared by the Administration of the project while seeking clearance for the project.

The assessment of balance forest land required for project is completed and final figure area after Jharkhand, Chhattisgarh state detailed survey as below-

| State         | Forest area Initially assessment (Ha.) | Forest area final assessment (Ha.) |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Uttar Pradesh | 228.75                                 | 127.1637                           |
| Chhattisgarh  | 121.00                                 | 191.4100                           |
| Jharkhand     | 91.32                                  | 174.3000                           |
| Total         | 441.07                                 | 492.8737                           |

The forest land diversion of Chhattisgarh and Jharkhand state are dealt separately by them fund damaged for the same have already been transferred.

9. The Project Proponent shall not take up any new activity on the additional forest area of 441.07 hectares proposed to be acquired unless specific permission under the Forest (Conservation) Act 1980 is taken and the area diverted for non-forest activity by the Competent Authority.

The project proponent will not take up any new activity on additional forest area (proposed to be acquired) unless specific condition/clearance under the forest (Conservation) act 1980 is taken and the area diverted for non forest activity.

10. The Committee shall study the impact of loss of 980 hectares of forest area which is comprised of wild life habitats with specific reference to the elephant corridor, rich floral and faunal diversity.

The Committee has given their observation at the 9<sup>th</sup> meeting dt. 29 February 2016, regarding wild life and Elephant Corridor, which is as follows "Regarding wild life and Elephant Corridor, sporadic incidence of wild life movement doesn't notify the area as a corridor for any specific species. There were no rare or endangered species found earlier, or at present any, in or around the project area.

The project proponent have already carried out a study in march 1980 through an Expert agency Botanical survey of india, which concluded that no rare or endangered species of plants were found in the project locality at this time. Same is also observed by committee in its report.

11. Undertaking Social forestry in resettlement

The committee suggested sewage treatment plant for

डॉ. विनोद कुमार  
प्रशिक्षासी अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>colonies of the displaced persons what one of the conditions of EC. The committee shall examine whether social forestry for ameliorative measures against air pollution and adverse impact on local ecology and environment has been taken up and to what extent. The committee shall also suggest measures as to how the resettlement colonies particularly, if located close to the industrial clusters of Sonebhadra, can be protected from the adverse effects of thermal power plants, coal and bauxite mining, aluminium and cement industries, particularly, from the air and water pollution and health impacts due to Mercury, Arsenic and Fluoride contamination and as a consequence of the presence of large number of industries in the district of Sonebhadra in particulars and Singrauli in general.</p> | <p>preventing water quality of kanhar river through generating 1 MLD of sewage in R&amp;R colony. Though the sewage treatment plant for R&amp;R colony is not estimated in project cost. It is stated that even though it will impose additional burden on the project the same if considered appropriate may be so directed by the Hon'ble court.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>12. In the light of the fact that the Kanhar River flows through a drought prone area where water is a critical input for the life supports systems, both on land and within the aquatic ecosystem, the Committee should examine maintenance of certain minimum environmental flow downstream of the Dam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>The Guidelines given by the ministry of Environment forest &amp; climate change for ecological/ environmental flow are compiled. The project proponent constructed 2 No. of under sluice of size 1.50x2.0 m in spillway to provide minimum ecological flow of kanhar River. In D/S of River Goitha, Thema, Phulma, lauwa and maliya rivers join kanhar river before kanhar joins Sone river, which is tributary of River Ganga. Due to hilly source kanhar River is almost Dry in dry monsoon (march to mid June). The report of committee constituted by Ministry of Water Resources River Development and Ganga rejuvenation comes, all guidelines compliance as per order.</p> |
| <p>13. The Committee while preparing the comprehensive report shall take into considerations, if there is any adverse impact of the works already executed, on the environment and ecology or the areas and the remedial steps that should be taken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>The committee visited the project site and found apparently there is no adverse impact of works already executed. The barbed wire fencing has been done around the blasting area for restricting movement of animal and human being. The air quality also found clean without particulate matter and river water also clear &amp; clean.<br/>The committee also suggested no remedial steps are considered necessary other than the environment safeguard measured already proposed.</p>                                                                                                                                                                                          |

ई० विनोद कुमार  
अभिजाती अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

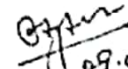
14. The Project proponent shall complete the construction of activity that is under way and would not commence any new activity or construction without specific recommendations of the Committee in that behalf.

15. The Project proponent shall complete the construction of activity that is under way and would not commence any new activity or construction without specific recommendations of the Committee in that behalf.

The project proponent will only complete the construction activities that are underway and will not commence any new activity or construction before finalizing successful tendering process.

All recommendations given by committee already considered/followed by project proponent and continued with provisions as above. In last point Dam break analysis (studies) done by project proponent by central water & power research station Pune.

The other viz. Hydrological non stationary. Sediment transport, Dam induces seismicity & post dam hydrological changes area also in progress from recognised institution.

  
09.08.2023  
(Er. Vinod Kumar)

EXECUTIVE ENGINEER

कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय

पिपरी-सोनभद्र

कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनभद्र

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



Central Inhabitant, 5th Floor, Sector-II, Aligarh, Lucknow-226021, Tel: 2326696  
Email: mofc@moef.gov.in, mofc@moef.gov.in

पत्र सं० ४५०/४५०/०२/३१/२०१०/१५००००/३-५-७

दिनांक : 10.03.2022

शेरा मे

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन, यापू भवन, लखनऊ।

**ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016**

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 234087 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: सचिव, उ० प्र० का पत्रांक-307/81-2-2022-000(110)/2017, लखनऊ, दिनांक-33.03.2022.

नोटद्वारा,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अध्ययन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने दिशानिर्दिष्ट प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में आपने मांगी गई कैट योजना (CAT PLAN) प्रस्तुत की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति को पूर्ण अनुपालना उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आपके की वारंदाई सुनिश्चित की जा सके।

भददीया,

(टी० प्रवीण मंगवार)

उप वन नरनिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संक), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ० प्र०।
4. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3, पिपरी, सोनभद्र, उ० प्र०।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश प्राप्त।

(टी० प्रवीण मंगवार)  
उप वन नरनिरीक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक-2600/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ, दिनांक: मार्च 15, 2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण विन्दुवार अनुपालन आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा एवं रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण विन्दुवार अनुपालन आख्या एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ० प्र०, लखनऊ।